



महार्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के लिए आयोजन सचिव / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय अध्यक्ष प्रतिनिधि / पर्यवेक्षक को आवश्यक निर्देश

1. जिस महाविद्यालय में शासीरिक शिक्षक उपलब्ध हों वहां अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु शासीरिक शिक्षक को ही आयोजन सचिव बनाया जाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय द्वारा स्पोर्ट्स बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय की टीम ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेगी।
3. महाविद्यालयों को जिन खेलों में भाग लेना है उनकी प्रविष्टि रजिस्टर्ड पत्र द्वारा संबोधित आयोजन सचिव एवं एक प्रति सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर के पास निर्धारित तिथि से पूर्व पड़व जानी चाहिए। प्रतिलिपि पर स्पोर्ट्स बोर्ड, न० द० स० विश्वविद्यालय से सम्बद्धता हेतु शुल्क एवं खेल विकास शुल्क के झापट ने, एवं दिनांक अंकित करें।
4. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी 10वीं, 12वीं एवं कॉलेज की सभी कक्षाओं की मूल अंकतालिकाओं मध्य एक-एक फोटो प्रति के तथा पासपोर्ट साइज की चार फोटो कॉलेज में प्रवेश की रसीद एवं महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र निश्चित रूप से अवश्य साथ लावें, अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा। इसकी समूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित खिलाड़ी की होगी।
5. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को विविध खेलों में भाग लेने के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र (क्रमांक 4 पर अंकित) पृथक-पृथक रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
6. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता के अध्यक्ष दिजेता एवं उपदिजेता के प्रमाण पत्रों पर खिलाड़ी का छाया चित्र चिपकवाकर अपने हस्ताक्षर मय मोहर के लितरित करें। प्रमाण पत्र का लेखा जोखा मय नाम एवं क्रमांक के अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजें तत्परता ही अंशदान राशि भिजवाई जावेगी। तीन दिन में उक्त प्रपत्र नहीं भेजे जाने पर विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
7. सभी खेलों के द्वारा अयोजन सचिव द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के सम्मुख निकाले जायेंगे। प्रविष्टि भेजकर भाग नहीं लेने एवं द्वारा निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में भाग लेना है उसी में अपनी प्रविष्टि भेजें।
8. ना देने वाले महाविद्यालयों को खेलकूद निर्देशिकाओं के अनुसार दण्डित किया जायेगा। आयोजन सचिव एसे महाविद्यालयों की सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। सभी किकेट पुरुष प्रतियोगिता का द्वारा प्रविष्टि की अन्तिम तिथि के तीन दिन के बाद, खेल कूद/प्रतिनिधि के समक्ष डाला जावे। क्वार्टर फाईनल, सेमीफाईनल, फाईनल एवं चयन स्पर्धा भी इन्हीं के समुख होगी। अन्तर महाविद्यालय किकेट प्रतियोगिता का जिस महाविद्यालय को आवान किया जायेगा उसे यह प्रतियोगिता आयोजित करना अनिवार्य होगा।
9. छात्रों के लिए इस सत्र में हमर थो, द्विपल जम्प, हेटथलन, 100 / 400 मीटर बाधा दौड़ 10000 मीटर दौड़ तथा 5 किलोमीटर दौड़ एवं पुरुष / महिला हाफ मैराथन की होगी तथा आयोजक महाविद्यालय भाग लेने वाले महाविद्यालयों को डिटेल प्रविष्टि हेतु दिनांक निश्चित कर सुचित करें।
10. अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में अध्यक्ष प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक ही कोट्टे दोषर की नियुक्ति कर सचिव खेल बोर्ड /आयोजन सचिव को सुचित करें।
11. आयोजक महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जिन खेलों में छात्रों एवं छात्राओं की प्रतियोगिताएं एक साथ आयोजित होगी उनके रहने व खाने की व्यवस्था समुचित रूप से पृथक करें।
12. प्रत्येक खेल की प्रविष्टि पृथक – पृथक रूप से निर्धारित तिथि अनुसार भेजें। सभी खेलों की प्रविष्टि एक साथ एक पत्र में ना भेजे अन्यथा मान्य नहीं होगी। एथलेटिक, कॉस कन्ट्री व किकेट टीमों के सभी मूल दस्तावेज़, (अक्तालिकाओं) इत्यादि की जांच कर पुष्टि कर लें। सेमीफाईनल की टीमों का युप फोटो तथा मूल दस्तावेज़ों की जांच आवश्यक है।
13. खेलों की प्रविष्टि आयोजन तिथि से एक माह पूर्व तथा अन्य खेलों की प्रविष्टि 10 दिवस पूर्व आयोजक महाविद्यालय व सचिव स्पोर्ट्स बोर्ड, मदस विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
14. आयोजन सचिव विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक, अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व खिलाड़ियों के परिचय पत्र, योग्यता प्रोफोर्म की जांच उपरान्त ही हस्ताक्षर करें। सेमीफाईनल में पहुंची

15. यदि पुरुष प्रतियोगिता में चार व महिला प्रतियोगिता में तीन दलों से कम संख्या हों तो केवल चयन स्पर्धा को ही आयोजित करावें तथा किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं दिया जावे।
16. दल के साथ शारीरिक शिक्षक अथवा व्याख्याता होने पर ही दल को प्रतियोगिता में भाग लेने देवें।
17. गत वर्ष के विजेता महाविद्यालय चल वैजयन्ती को पॉलिश करवाकर सही स्थिति में संबंधित आयोजक महाविद्यालय को प्रतियोगिता से पूर्व भिजवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना देवें। इस वर्ष की वैजयन्ती की प्राप्ति की रसीद की एक प्रति विजेता महाविद्यालय से लेकर आयोजन सचिव की रिपोर्ट के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवावें, शील्ड नहीं भेजने पर प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया जावेगा।
18. अन्तर महाविद्यालय पुरुष एवं महिला क्रॉस कर्टी प्रतियोगिता में केवल प्रथम तीन व्यक्तिगत स्थान प्राप्त करने वाले को ही प्रमाण-पत्र देवें।
19. ऐश्वेलेटिक्स, भारतोत्तोलन, पावर लिफिटिंग में इस विश्वविद्यालय द्वारा एआई.यू के सिक्स स्टेन्डर्ड के अनुसार ही अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता की बेस्ट परफोरमेंस को योग्यता का मापदण्ड मानकर खिलाड़ियों का अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता हेतु चयन किया जावे। उपरोक्तानुसार सही नहीं पाये जाने पर चयन निरस्त समझा जावेगा एवं ऐसे खिलाड़ियों को किसी भी तरह का भत्ता देय नहीं होगा।
20. अन्तर महाविद्यालय किकेट प्रतियोगिता पुरुष/महिला के मैच 50-50 ओवर के होंगे।
21. व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं के लिये निर्णायक शुल्क रुपये 600 ऐश्वेलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए रुपये 400/- होंगे तथा किसी भी आयोजक महाविद्यालय द्वारा उक्त वर्षित राशि से अधिक राशि वसूलने की जानकारी प्राप्त होती है तो उस आयोजक महाविद्यालय को एक वर्ष के लिये डिबार कर दिया जायेगा। निर्णायक शुल्क का उपयोग पूर्णतया एवं निर्णियन हेतु किया जायेगा।
22. मुख्य परीक्षा में जिन छात्रों का परिणाम चैकिटिंग विषय में पूरक घोषित हुआ है, वे छात्र-छात्र अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। पूरक का परिणाम पास होने पर भी केवल 'नियमित विचारी' होने पर भाग ले सकेंगे।
23. पर्यवेक्षक/अध्यक्ष प्रतिनिधि/आयोजन सचिव को चयन सूची निर्धारित प्रपत्र में ही सचिव को भेजा जाना आवश्यक है। चयन सूची के प्रपत्र (परिशिष्ट 3) में निर्धारित संख्या एवं भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन अमान्य होगा। आयोजक महाविद्यालय चयनित खिलाड़ियों की सूची भैरव के आधार पर ही प्रेषित करेंगे तथा रिजर्व सूची भी अलग से बनाकर प्रेषित करेंगे।
24. विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड के अन्तर्गत अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता इस वर्ष में जिन स्पर्धाओं का आयोजन होगा उनके आधार पर जनरल चैम्पियनशिप निर्धारित होगी।
25. अनुशासनहीन खिलाड़ियों का महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है और साथ ही मुख्य परीक्षा से बंचित किया जा सकता है।
26. कोच, मैनेजर, स्पोर्ट्स बोर्ड प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, आयोजन सचिव, प्राचार्य आदि को स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष, सचिव एवं अनुभागाधिकारी द्वारा टेलिफोनिक मैसेज एवं अच्य संचार माध्यमों से दी गई सूचना को अधिकारिक सूचना माना जावे।
27. खेल प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु खिलाड़ी का नियमित छात्र होना तथा उसको परीक्षा में प्रविष्ट होना अत्यन्त अनिवार्य है ऐसा न होने पर भविष्य में भी खिलाड़ियों के खेलने पर भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जावेगा।
28. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय कॉस कर्टी दौड़ प्रतियोगिता एआई.यू के नियमानुसार ही आयोजित की जावेगी। अतः पुरुषों में 6 धावक व महिलाओं में 6 धावक भाग लेंगे।
29. भाग लेने वाली सभी टीम निर्धारित किट में मध्य निर्धारित रंग के अपने झण्डे के साथ उपस्थित हों।
30. According to A.I.U rules it has been decided that to decide the minimum age of participation of 17 years it will be one day before the starting of the Inter collegiate tournament and not the 1st july of the current session.

//3//

31. अन्तर महाविद्यालय प्रतीयोगिता हेतु आयोजक महाविद्यालय खिलाड़ी छात्रों की Eligibility (पात्रता) पूर्णरूप से सुनिश्चित करेगा। यदि किसी छात्र/छात्रा को परिणाम नहीं आने की स्थिति में Provisionally खिलाया जाता है और परिणाम बाद में आने पर छात्र फैल हो जाता है तो उसकी Provisional पात्रता रद्द कर दी जायेगी तथा किसी भी स्थिति में प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।
32. ए.आई.यू. से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त महाविद्यालय, स्पोर्ट्स बोर्ड / व आयोजक महाविद्यालय से सम्पर्क कायम रखें। तिथियों में परिवर्तन संभवित है, अतः प्रतिस्पष्टी महाविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड न आयोजक महाविद्यालय से सम्पर्क बनाए रखें।
33. सत्र 2022–23 की समस्त अन्तर महाविद्यालयी प्रतीयोगिताएं ए.आई.यू.के नवीनीकृत निर्देशानुसार होंगी।



Deepak
सचिव, स्पोर्ट्स बोर्ड